न्यायालय : अति० जिला कलक्टर नीमकाथाना

पीठासीन अधिकारी का नाम
भागीरथ शाख (R.A.S)

प्रार्थना पत्र सं 38/24

उनवान

गोपाल आदि बनाम जयनारायण आदि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 114, 151 व आदेश 47 नियम 1 सी.पी.सी प्रार्थना पत्र रिव्यू आदेश दिनांक 30-6-2023 उनवानी जयनारायण बनाम भूमिधारी अपील सं 23/2023

उपस्थित :- श्री हरि सिंह सैनी एड० - प्रार्थीगण
श्री फतेह सिंह एड० - अप्रार्थीगण सं 1 ता 3

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (राजस्थान)

निर्णय

दिनांक 11-11-2024

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 114, 151 व आदेश 47 नियम 1 सी.पी.सी प्रार्थना पत्र रिव्यू विरुद्ध आदेश दिनांक 30-6-2023 प्रकरण सं 23/2023 उनवानी जयनारायण बनाम भूमिधारी बाबत पेश किया, जो संक्षेप में इस प्रकार है कि अप्रार्थी सं 1 ता 3 के नाम राजस्व ग्राम हीरा नगर के भूमि खाता सं 74 के भूमि ख० न० 470 रकबा 0.1100 है, 481 रकबा 0.1200 है, गै. मु. नहर, 482 रकबा 0.0100 है, ख० न० 486 रकबा 0.0900 है गै मु. सडक, ख० न० 482/2 रकबा ---- 2 ----

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नीमकाथाना

Scanned with OKEN Scanner

...0.4000 है० जो मु० रास्ता कुल किता 6 कुल 0.3800 है० तथा खाता सं 388 के ख० न० 484/1 रकबा 0.3800 है०, 487 रकबा ...1000 है०, 488/1 रकबा 0.1100 है०, 488/3 रकबा 0.8100 है०, 490/1 रकबा 0.4800 है०, 981/1 रकबा 0.4650 है०, कुल किता 7 कुल रकबा 2.7650 है०, खाता सं 387 के ख० न० 981/3 रकबा 0.5500 है०, किता 1 कुल रकबा 0.5500 है०, खाता सं 389 के ख० न० 489/2 रकबा 0.4800 है०, 981/2 रकबा 0.4650 किता 2 कुल रकबा 0.9450 है०, खाता सं 398 के ख० न० 484/2 रकबा 0.9200 है०, 488/4 रकबा 0.9100 है०, कुल किता 2 रकबा 1.8300 है० खाता सं 75 के ख० न० 980 रकबा 0.0100 है० गै० मु० चाह किता 1 कुल रकबा 0.0100 है० खाता सं 45 के ख० न० 478 रकबा 0.0100 है०, 480 रकबा 0.2800 है०, किता 2 रकबा 0.2900 है०, खाता सं 462 के ख० न० 472 रकबा 0.3000 है०, किता 1 कुल रकबा 0.3000 है० के मय खातेदार अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 राजस्व रिकार्ड में दर्ज थे। खाता सं 427 के नये भूमि ख० न० 472, 470, 478 को अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के द्वारा सम्पूर्ण प्रार्थी सं. 1 के हक में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27-5-13 को विक्रय कर दिया। इसके पश्चात उक्त भूमि ख० न० 2410/1 रकबा 0.4200 है०, मे से 0.1200 है० भूमि प्रार्थी सं. 1 के द्वारा वापस अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 को दे दी। प्रार्थीगण के पास बची हुई भूमि का खाता प्रार्थीगण 1 ने राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवा लिया। इसके पश्चात उक्त भूमि प्रार्थी सं. 1 के द्वारा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 6-9-2021 को प्रार्थीगण सं 2 व 3 को विक्रय कर दी जिसका प्रार्थीगण सं 2 व 3 ने राजस्व रिकार्ड में अपने नाम खाता खुलवा लिया। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 द्वारा बाला-बाला रूप से प्रार्थीगण को बिना कोई सूचना दिये प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 में वर्णित भूमि जिसका पूर्व मे आपसी सहमति से बटवारा कर बटवारे के आधार पर नामान्तकरण सं 225 व 227 दिनांक 13-7-2018 को भरा गया था। निरस्त करवाने हेतु न्यायालय हाजा मे अपील पेश कर दी जिसमे बाद सुनवाई दिनांक 30-6-2023 को नामा० सं 225 व 227 को पूर्णतया निरस्त कर प्रा०

---3---

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट ★ नीमकाथाना (राजस्थान) ★

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नीमकाथाना

में वर्णित सम्पूर्ण भूमि को बँटवारे से पूर्व की स्थिति में पुनः भूमि स्वामित्वधारी प्रार्थी सं 1 ता 3 के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये। पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी सं 4 को रिपोर्ट पेश कि गई कि खाते में नामा० सं 238 दिनांक 13-12-2018 जरिये [illegible] के ख०न० 480 जयनारायण, रामेश्वर पुत्रान [illegible]नारायण जाति जाट के बजाय गोपाल पुत्र छोटूराम जाति माली के नाम दर्ज हो चुकी है। रिकार्ड कि पूर्व की स्थिति दर्ज करने पर भूमि ख०न० 480 में गोपाल पुत्र छोटूराम जाति माली प्रभावित है। न्याया० हाजा द्वारा नामा० सं 225 व 227 को प्रार्थी सं. 1 का खरीद शुदा हिस्सा छोडकर नामा० निरस्त करना था जो कि तथ्य एवं विधि की भूल की श्रेणी मे आता है प्रार्थीगण सद्भावी क्रेता है तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के बीच उक्त भूमि बाबत किसी प्रकार का विवाद आदि नही है। प्रार्थीगण के द्वारा क्रय भूमि वर्तमान खाता सं 45 के भूमि ख० न० 472 रकबा 0.30 है० को निरस्त किये गये नामा० सं 225 व 227 से छोडकर शेष भूमि के बाबत नामा० निरस्त किये जाने हेतु मान० न्यायालय हाजा में आदेश दिनांक 30-6-2023 का रिव्यू कर उक्त आदेश को संशोधित किया जाना आवश्यक हो गया।

अतः रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र न्याय-हित में स्वीकार किया जाकर मान० न्यायालय हाजा का आदेश दिनांक 30-6-2023 प्रकरण उनवानी जयनारायण बनाम भूमिधारी मु० न० 23/2023 मे निरस्त किये गये नामा० सं 225 व 227 में प्रार्थीगण की खरीद शुदा भूमि खाता सं 45 ख० न० 472 रकबा 0.30 है० को छोडकर शेष भूमि का नामान्तकरण निरस्त किये जाने के उक्त आदेश को रिव्यू कर संशोधित करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र रिव्यू विरुद्ध आदेश 30-6-2023 प्रकरण सं० 23/2023 उनवानी जयनारायण

---4---

वकील

...भूमिधारी के पेश होने पर दर्ज रिकार्ड किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 जरिये वकील हाजर आये एवं अप्रार्थी सं. 4 व 5 ... हाजिर नहीं आये एवं उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 कि और से राजीनामा पेश हुआ और ... तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

वकुलाप उभय पक्ष को सुना गया। वकुलाप उभय पक्ष के मुताबिक राजीनामा के अनुसार न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में दिनांक 30-6-2023 प्रकरण उनवानी जयनारायण बनाम भूमिधारी में पारित निर्णय में संशोधन किया जाकर रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश फरमाये।

पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया एवं राजीनामा का अवलोकन किया गया। मत: न्यायहित में मुताबिक राजीनामा के अनुसार न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 30-6-2023 को उनवानी प्रकरण जयनारायण बनाम भूमिधारी में पारित आदेश में संशोधन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

मत। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रिव्यू मुताबिक राजीनामा के स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण संख्या 23/23 उनवानी जयनारायण बनाम भूमिधारी में दिनांक 30-6-2023 को पारित आदेश में राजीनामा के अनुसार संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिये जाते हैं कि मुताबिक राजीनामा के अनुसार पूर्व में पारित आदेश में संशोधन कर राजस्व रिकार्ड में पुन: अमल दरामद करें। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। पालना हेतु तहरीर जारी हैं।

उक्त आदेश आज दिनांक 11-11-2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(हस्ताक्षर) 11/11/2024

(भागीरथ शाख)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नीमकाथाना

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (राजस्थान)

Scanned with OKEN Scanner